31.12.2021:– वकील प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र पर प्रत्रावली को पेशी मे लिया गया। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि वर्तमान मे इस प्रकरण मे राजीनामा हो जाने से प्रार्थी इस प्रकरण को आगे नही चलाना चाहते। प्रार्थी के अधिवक्ता ने फर्द अहकाम पर प्रार्थीगण के लिखित मे कथन किया। मूल वादपत्र खारिज करवा लेने के कारण प्रार्थी उक्त प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. वर्तमान स्तर पर ही खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Avi Garg
Date: 2022.03.30 15:59:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner